

# हरियाणा के किसानों से अपील

## फसल अवशेष जलाने से हानि



वायु प्रदूषण अधिनियम-2003 के तहत फसलों के बचे हुए अवशेष को जलाना राज्य में प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध है।

- बचे हुए भूसै एवं दानों की हानि।
- सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट होने से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है।
- नाइट्रोजन की कमी होने से उत्पादन घटता है।
- आसपास के खेतों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।
- वायु प्रदूषण बढ़ने से लोगों में बीमारियों का खतरा पैदा होता है।



### समाधान

फसलों के अवशेष का स्ट्रा बेलर, रीपर बाईंडर एवं स्ट्रा रीपर द्वारा समुचित उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार मैल्चर / एम.बी. प्लो एवं रोटावेटर के प्रयोग से फसलों के अवशेष को मिट्टी में मिला कर कम्पोस्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

### अवशेष न जलाने के लाभ

- खेत में फानों को मिलाने से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है एवं कम खाद की जरूरत होती है।
- वायु प्रदूषण कम होने से वातावरण शुद्ध रहता है।
- मशीनों के प्रयोग से समय अनुसार बहाई का होना।
- स्ट्रा बेलर द्वारा बनाए गए गट्ठे बायोमास पॉवर जनरेशन प्लांट को बेचकर आमदनी में वृद्धि।



फसलों के बचे हुए फाने / अवशेष / टूठ को खेत में नहीं जलाना है। प्रदूषण को मिटाना है।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा  
सेक्टर-21, पंचकुला



# The Correspondent

₹50/-  
January 2019

Think differently

Turn on  
the heat this  
WINTER!!

What's  
Inside

Legalise  
Marijuan

In Kashmir, every stone  
thrown has a Price!

Your Winter  
Holiday Destination

[www.thecorrespondent.in](http://www.thecorrespondent.in) | [www.thecorrespondenthindi.com](http://www.thecorrespondenthindi.com)





# Seaspoon

GARDEN CAFE

## WESTWOOD

Spl : Conferences, Kitty Parties, Birthday Parties, Anniversaries, Marriages

9115900174, 9115900175, 9115900177

Bring This Magazine &

Get Rs 100/- Off On A Bill Of Rs 500 Or More

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

अपने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें  
अधिक जानकारी के लिये

। अनुदान का तक प्रतिशत

☆ फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हाइरिंग केंद्र स्थापित करने हेतु 80 प्रतिशत तक अनुदान ।  
☆ किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी खरीदने हेतु 50 प्रतिशत तक का

जहरीली गैसों से स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है ।

फसल अवशेष जलाने से प्रदूषण फैलता है ।

फसल अवशेष कभी ना जलाएं ।

किसान के खाद के खर्च पर करीब दो हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की बचत होती है ।

फसल अवशेषों को खेत में मिलाने से मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है ।

बढ़ाएं और लाभ कमाएं

फसल अवशेषों से मिट्टी गुणवत्ता

